

उत्तराखण्ड कैबिनेट ने 'UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट' को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद, उत्तराखण्ड ने स्वतंत्रता के बाद [समान नागरिकी संहिता \(UCC\)](#) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दशा में एक और बड़ा कदम है।

मुख्य बंदि:

- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को वधिनसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि **70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ दल के पास 47 सीटें** हैं, जससे UCC वदियक पास होने की संभावना अधकल हो जाती है।
- समान नागरिकी संहतल कानूनों का एक समूह है जो सभी धर्मों और जनजातलियों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा ववलह, तलाक, वरलसत एवं उत्तराधकलर समेत वभलनलन मुददों को नयलंतरल करेगा।**
- भारत के संवधलन के अनुसार UCC **राज्य के नीतलनलदलशक सदलधांतों** का एक हसलसा है।
- वर्ष 2011 की राषट्रलरीय जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में **13.9% मुसलमल आबालदी** है, जसके अधकलंश लोग **तराई कषेत्तर** में रहते हैं।

समान नागरिकी संहतल

- समान नागरिकी संहतल पूरे देश के लयल एक समान कानून के साथ ही सभी धारमकल समुदलयों के लयल** ववलह, तलाक, वरलसत, गूद लेने आदल कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रलवधलन करती है।
- संवधलन के **अनुच्छेद 44** में वरणतल है कल राज्‍य भारत के पूरे कषेत्तर में नागरकलियों के लयल एक **समान नागरिकी संहतल** सुनशलचतल करने का प्रलयास करेगा।
 - अनुच्छेद-44, संवधलन में वरणतल **राज्‍य के नीतलनलदलशक तत्त्वों में से एक है।**
 - अनुच्छेद 44 का उददेश्‍य संवधलन की प्रसूतावना में नहलतल "धरमनरलपेकष लोकतांत्रकल गणराज्‍य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।